**नोटिस पंजीकृत**

दिनांक: \_\_/ \_\_ / 2020

प्रेषक- \_\_\_\_\_पुत्र \_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_।

प्रेषितगण- 1. प्रथम प्रेषितगण नाम, पद / पदनाम, पूरा पता

2. दूसरा प्रेषितगण नाम, पद / पदनाम, पूरा पता

महोदय,

1- हस्व हिदायत अपने मुवककील \_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ द्वारा उपलब्ध करायी जानकारी पर आपको निम्न नोटिस प्रेषित किया जा रहा है:

2- यह कि मेरा मुवक्किल अपनी पुत्री के उज्जवल भविष्य की इच्छा रखते हुये अपनी पुत्री \_\_\_\_\_\_\_ को विदेश भेजना चाहता था । इसी दौरान मेरे मुवक्किल के रिश्तेदार \_\_\_\_\_\_\_ पुत्र \_\_\_\_\_\_\_\_से सम्पर्क होने पर उसके द्वारा बताया कि मैं, \_\_\_\_\_\_\_\_ ( प्रेषिती संख्या -1 ) व अन्य साथी के साथ \_\_\_\_\_\_\_\_ में वीजा कन्सलटेन्ट का काम करते है और लोगो को विदेश भिजवाते है और \_\_\_\_\_\_\_ ने मेरे मुवक्किल की मुलाकात आप प्रेषिती से \_\_\_\_\_\_\_ में करवायी गयी ।

3- यह कि आपके द्वारा मेरे मुवक्किल की पुत्री को विदेश भिजवाने का आश्वासन देकर मेरे मुवक्किल से विभिन्न तिथियों में धनराशि प्राप्त की गयी, किन्तु कोई न कोई बहाना बनाकर लगातार मेरे मुवक्किल को टालने के उपरान्त भी मेरे मुवक्किल की पुत्री को विदेश नही भिजवाया गया , जिस पर मेरे मुवक्किल द्वारा आप प्रेषिती व \_\_\_\_\_\_\_\_\_ को दी गयी धनराशि वापिस करने की बात कही गयी ।

4- यह कि आप प्रेषिती व \_\_\_\_\_\_\_\_ द्वारा मेरे मुवक्किल से प्राप्त की गयी धनराशि के मध्ये आंशिक धनराशि की अदायगी के लिये "इण्डसईन्ड बैंक की शाखा आवास \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ में " \_\_\_\_\_\_\_ वीजा कन्सलटेन्ट " के नाम से संचालित खाता संख्या \_\_\_\_\_\_\_ में से एकाउन्ट पेयी चैक संख्या \_\_\_\_\_\_\_दिनांकित \_\_\_/\_\_\_/2020 मुव0-\_\_\_\_\_\_ /- रूपये (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) का आप प्रेषिती संख्या -1 द्वारा फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरी की हैसियत से अपने हस्ताक्षर से मेरे मुवक्किल के नाम से जारी किया गया और चैक का भुगतान बैंक के जरिये प्राप्त करने की बात कही गयी ।

5- यह कि आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त चैक को आपके कहे अनुसार भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर दिनाक \_\_\_/ \_\_\_ /2020 एवं दिनांक \_\_\_/ \_\_\_ /2020 को चैक को अनादरित कर बिना भुगतान वापिस कर दिया गया , जिस पर आप प्रेषिती संख्या -1 एवं \_\_\_\_\_\_\_\_ से सम्पर्क करने पर आपके द्वारा आर्थिक परेशानी की बात कहते हुये उपरोक्त चैक को दिनांक \_\_\_/ \_\_\_\_/ 2020 के बाद कभी भी पुनः भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर अपने खाते से चैक का भुगतान करवाने का आश्वासन दिया गया।

6- यह कि आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त चैक को आपके कहे अनुसार भुगतान प्राप्ति हेतु मेरे मुवक्किल द्वारा अपनी पुत्री \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ के साथ संयुक्त रूप से "भारतीय स्टेट बैंक" की कृषि विकास शाखा \_\_\_\_\_\_\_ में संचालित खाता संख्या \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ में प्रस्तुत किया गया।

7- यह कि उपरोक्त चैक का समाशोधन करने के उपरांत उपरोक्त चैक को "भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा \_\_\_\_\_\_\_\_ द्वारा बिना भुगतान के वापिस कर दिया गया , जिसके साथ में “भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा \_\_\_\_\_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_\_\_ का चैक वापिसी मैमो दिनांकित \_\_\_ / \_\_\_/ 2020 मूल रूप से संलग्न था , जिसमें उपरोक्त चैक को अनादरित करने का कारण "Funds Insufficient" उल्लेखित किया गया था । यह कि आप प्रेषिती संख्या -1 एवं आपके सहयोगी \_\_\_\_\_\_\_ द्वारा प्रारम्भ से ही मेरे मुवक्किल के साथ धोखाधड़ी करने का उददेश्य रखते हुये उसकी पुत्री को विदेश भेजने का प्रोत्साहन देकर मेरे मुवक्किल से रूपये लेकर, टाल - मटोल करने बाद यह जानते हुये कि आपकी फर्म के खाते में पर्याप्त रूपये नही है और चैक का भुगतान नही हो पायेगा, फिर भी मेरे मुवक्किल का पैसा हड़पने की नीयत रखते हुये उपरोक्त चैक अपने हस्ताक्षर से मेरे मुवक्किल के नाम से जारी किया गया, और चैक अनादरित हो जाने पर समय प्राप्त करते हुये भुगतान करवाने का आश्वासन देने के बावजूद भी चैक का भुगतान सुनिश्चित नही करवाया गया, जिस कारण उपरोक्त चैक की धनराशि का भुगतान आज दिन तक मेरे मुवक्किल को प्राप्त नहीं हो पाया है। आपका उक्त कृत्य धोखा - धड़ी पूर्ण एवं अपराधिक कृत्य है।

अतएव आपको इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता हैं कि आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त चैक संख्या \_\_\_/ \_\_\_ /2020 की धनराशि मुवलिग \_\_\_\_\_\_\_ /- रूपये (\_\_\_\_\_\_\_ ) एवं नोटिस व्यय 5,000 / -रूपये का भुगतान मेरे मुवक्किल को कर देवे, अन्यथा बाद गुजरने मियाद नोटिस मेरा मुवक्किल आपके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र एवं बाध्य होगा , जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

भवदीय,

(एडवोकेट पारूल)